उद्योगों को कम समय में मिलेगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी

उद्यमों से जुड़े 1300 अप्रासंगिक नियम हटाये जायेंगे

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने वन एवं पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रदेश में उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान करने की समय सीमा को 120 दिनों से घटा कर अन्य राज्यों के सापेक्ष 30 से 45 दिन के भीतर किया जाए, ताकि प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को एनओसी कम समय में प्राप्त हो सके।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र के माध्यम से ही उद्यमियों के आवेदन स्वीकार करने के लिए भी शासनादेश जारी किया जाए तथा अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त यूजर फीडबैक की मासिक समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव ने यह निर्देश केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा संस्तुत बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020 के अन्तर्गत राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिये उद्योगों व उद्यमों की स्थापना व संचालन के लिये आवश्यक विनियामक अनुपालनों के भार को कम करने के उद्देश्य से आयोजित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में निर्देशित किया गया कि औद्योगीकरण के लिये अनुकूल वातावरण के सृजन के लिये परीक्षणोपरान्त अप्रासंगिक कानूनों व नियमों को समाप्त करने, विलय करने अथवा संख्या कम करने की कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कर ली जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने सूचित किया कि कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में उद्योगों से संबंधित 1300 अन्य अनुपालनों की संख्या को कम करने की कार्यवाही भी विभागीय स्तर पर की जा रही है।